कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून

वैभव पैलेस, सी-1/105, इन्दिरा नगर, देहरादून-248006

स0 : स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या-60/2016-17/

दिनांक: /01/2017

सेवा में,

जिला पंचायतराज अधिकारी,

उत्तरकाशी

विषय : जिला पंचायतराज अधिकारी उत्तरकाशी का वर्ष 12/2015 से 01/2016 तक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

आपके कार्यालय का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पेषित कर यह अवगत कराना है कि प्रतिवेदन के **भाग-4 (ब)-1 में शून्य प्रस्तर भाग-4 (ब)-2 में 02 प्रस्तर तथा STAN के शून्य प्रस्तर** हैं इन प्रस्तरों को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (Annual Technical Inspection Report) (ATIR) में सम्मिलित किया जाना सम्भावित है। भाग-4 (ब)-2 की सभी प्रस्तरों के प्रतिपालन आख्या अपने उच्चतर अधिकारी (**निदेशक, पंचायती राज निदेशालय उत्तराखण्ड**) के माध्यम से भेजा जाना अनिवार्य है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन का प्रथम प्रतिपालन आख्या इनकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर संलग्न प्रारूप में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : 1 प्रतिवेदन की प्रति

2 प्रतिपालन आख्या का प्रारूप

भवदीय

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

सं0 स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या 60/2016-17/ **दिनांक : /01/2017**

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1 निदेशक, पंचायती राज निदेशालय उत्तराखण्ड, 31/62 राजपुर रोड़ निकट साई इंस्टीट्यूट, देहरादून।निदेशक, 2.निदेशक, लेखापरीक्षा (आडिट) निदेशालय, द्वितीय-तल, आयुक्त कर भवन, जोगीवाला, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून, पिन कोडः 248005

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून

भाग-एक

वर्ष 2016-17 के लिये जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तरकाशी पर निरीक्षण प्रतिवेदन

(अ) संप्रेक्षावधि मे कार्यरत पंचायतराज अध्यक्ष तथा कार्यकारी अधिकारी का नाम तथा पदनाम

(i) मौ. मुस्तफा खान	-	जिला पंचायत राज अधिकारी
(ब) संप्रेक्षा सदस्यों के नाम तथा पदनाम	(i)	श्री एस. के. त्यागी, व. ले.प.अ.
	(ii)	श्री पी,एल, शर्मा, स.ले.प.अ.
	(iii)	श्री अर्जनसिहं स.ले.प.अ.
	(iv)	श्री मधुकर मिश्र व.ले.प.

(स) संप्रेक्षा तिथि 04.11..2016 से 17.11..2016 तक

(द) संप्रेक्षा में आच्छादित अवधि: 12/2015 से10//2016

भाग-दो

परिचयात्मक :

1. पंचायतीराज संस्था का नाम : **जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तरकाशी**

(अ) उपरोक्त यदि जिला पंचायत राज अधिकारी है तो क्षेत्र पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों की संख्या:-

(ब) उपरोक्त यदि क्षेत्र पंचायत है तो ग्राम पंचायतों की संख्याः-

भौगोलिक क्षेत्र : -

जनसंख्या :

2- निर्वाचित सदस्यों की संख्या :

3- (अ) पंचायत द्वारा आयोजित बैठकों की संख्याः

4- (ब) उपसमितियों, स्थायी समितियों की संख्या तथा प्रत्येक आयोजित बैठकों की संख्या:- बैठक :

5- कर्मचारियों की संख्या : -71

6- पंचायतराज की सम्पतियां : -

7- पंचायतराज के अपने प्रोजेक्ट : -

8- योजनाओं की संख्या

9- (अ) सामाजिक संरक्षा : -

(ब) रोजगार सृजन से सम्बन्धित: -

(स) वर्ष के दौरान पूर्ण की गयी योजनायें: -

(द) लाभार्थियों की संख्या:

10- वर्ष के दौरान कर, रेट्स ड्यूटी चुंगी आदि की वसूली तथा बकाया राशि :

11- वर्ष के दौरान कुल व्यय :

(अ) सामान्यः -

(ब) योजनाओं पर (प्रत्येक योजना का अलग-अलग दर्शाया जाये) एवं संलग्नक के रूप में लगाया जाये।

12- क्या वार्षिक योजनाओं एवं बजट पर निर्वाचित निकाय द्वारा चर्चा की गयी तथा उसे पारित किया गया- नहीं

भाग-4 (अ)

(क) परिचयात्मकः- कार्यालय **जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तरकाशी** के लेखा/अभिलेखों की वर्ष 12/2015 से 10/2016 तक की सम्प्रेक्षा श्री एस. के. त्यागी, व.ले.प.अ, एवं श्री पी.एल.शर्मा, स.ले.प.अ. श्री अर्जुनसिहं स.ले.प.अ. तथा श्री मधुकर मिश्र व.ले.प. द्वारा दिनांक 04.11.2016 से 17.11.2016 तक सम्पादित की गयी।

(ख) विगत प्रतिवेदनों के बकाया प्रस्तरों की स्थितिः-

(i) महालेखाकार कार्यालय के लम्बित प्रस्तर:-

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0	**प्रस्तर भाग-2 (अ)**	**प्रस्तर भाग-2 (ब)**	**STAN**
1. आई.सी./AIR.06/2006-07	01	1,2	1से 5
2. आई.सी.//AIR.92/2007-08	01	1 से 3	1. 2
3. सा.क्षे./AIR.31/2014--15	-	1 से 3	01
4. स्थानीय निकाय/ AIR.31/2015–16	-	01	01

	प्रतिवेदन संख्या वर्ष	**भाग प्रस्तरों की संख्या**
(ii) स्थानीय निधि लेखापरीक्षा के लम्बित प्रस्तर	-	

(ग) सतत अनियमितताओं की सूची- शून्य

(घ) अप्रस्तुत अभिलेख - शून्य

भाग-4(ब)-2

प्रस्तर1:- ` 15.00 लाख की स्वीकृति के पश्चात भी राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभायान के अंतर्गत निर्मित होने वाले रिसोर्स सेंटर का अपूर्ण रहना।

राजीव गाँधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान के अन्तर्गत विकास खण्डों में रिसोर्स सेन्टर का निर्माण किया जाना था। जिसके लिए नौगांव व पूरोला विकास खण्डों का चयन किया गया था उक्त के संबंध में विकास खण्ड पूरोला को 20 जनवरी 2015 में ` 5.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी (तथा उक्त कार्य 2013-14 में स्वीकृत था परन्तु एक वर्ष से अधिक की अवधि के पश्चात भी उक्त कार्य अपूर्ण था। अम्बन्धित कार्य हेतु 15.00 लाख की धनराशि मनरेगा से स्वीकृत थी। तथा 10.00 लाख विभाग से अवमुक्त किये जाने थे। इस प्रकार उक्त कार्य पर स्वीकृत राशि कुल 15.00 लाख थी। जिसके सापेक्ष ` 5.00 लाख विभाग द्वारा व्यय किया जा चुका है। निर्माण कार्य लम्वी अवधि से अपूर्ण था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने उत्तर में बताया कि मनरेगा की धनराशि उपलब्ध न होने का कारण वर्तमान में लिंटल स्तर तक कार्य हो गया है। द्वितीय किस्त निर्गत नहीं की गई है।

उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि लिसोर्स सेन्टर के समय से पूर्ण न होने के कारण विकास खण्ड स्तर पर स्थानीय जनता को वांछित उददेश्य का लाभ नही मिल पाया है।

अतः प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-4(ब)-2

प्रस्तर2 :- नई अंशदायी पेशन योजना से संबंधित शासनदेशों के अनुसार कर्मचारियों के अंशदान की कटौती न करना।

उत्तराखण्ड शासन के आदेश अनुसार 01.10.2005 के पश्चात नियुक्त होने वाले प्रत्येक कर्मचारी पर "न्यू पेंशन अंशदायी योजना लागू होना अनिवार्य है। प्रत्येक कर्मचारी के वेतन व महगाई भत्ते का 10 प्रतिशत की काटौती करना आवश्यक है। इसके समतुल्य धनराशि नियोक्ता विभाग द्वारा कर्मचाली के पक्ष में जमा की जाएगी। जब तक पंत्राक मैनेजर की नियुक्ति न हो तब तक कर्मचाली का अंशदान एवं समतुल्य धनराशि को राष्ट्रीयकृत बैक में खाते खोलकर जमा की जानी है जिसमें कम से कम सा.भा.नि. के समतुल्य ब्याज देय हो फंड मैनेजर द्वारा खाता संख्या आवटित किए जाने पर कर्मचाली की अंशदायी राशि PRAN में अपलोड की जाएगी।

जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय उत्तरकाशी में वेतन बिलों एवं कर्मचारियों से सम्बन्धित अन्य अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि विभाग द्वारा निम्नलिखित कर्मचारियों की अंशदान एवं समतुल्य धनराशि की कटौती नहीं की जा रही थी जो कि शासन द्वारा निर्गत आदेशों का उल्लंधन है

क्र.स.	**कर्मचारी का नाम**	**नियुक्ति की तिथि**
1.	**श्री हरि सिहं रावत**	**05.10.2013**
2.	**श्री अरोद सिहं चौहान**	**08.10.2013**
3.	**श्री अकुंर जैन**	**04.10.2013**
4.	**कु. श्वाती तिवारी**	**14.10.2013**
5.	**श्री राजवीर सिहं विष्ट**	**08.07.2014**

6.	**कु. परमेश्वरी कण्डियाल**	**12.10.2013**
7.	**श्री सौरभ उनियाल**	**03.10.2013**
8.	**श्री अरविन्द मस्तवाल**	**04.10.2013**
9.	**श्री चुन्नी लाल**	**30.01.2014**
10.	**श्री सतवीर सिहं रावत**	**01.01.1986**
11.	**श्री जगमोहन सिहं रावत**	**26.05.2014**

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि सम्वन्धित कर्मचारियों के खाता संख्या आबंटन हेतु प्रपत्र कोषागार NSDL को प्रेषित कर दिये गए है। खाता संख्या उपलब्ध होने पर कटौती की जाएगी।

उत्तर संतोषजनक नही है क्योंकि कर्मचारियों के वेतन से उक्त कटोतियाँ नियुक्ति के माह से ही की जानी चाहिए थी तथा बैंक में जमा किया जाना था परन्तु कटोतियाँ न करना शासन द्वारा निर्गत आपेक्षों का उल्लंधन है जिसके कारण अंशदानों की धनराशि से मिलने वाले लाभ कर्मचारियों को नहीं मिल पा रहे थे।

प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।